

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/ 363/ 37

भोपाल, दिनांक 16-06-2009

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय :- प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय ।

—:0:—

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 363 वीं बैठक दिनांक 28-05-09 (अपर प्रधान मुख्य व.सं.उत्पा.के विषय क्रमांक-04) में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन कार्यों हेतु कृषकों को औद्योगिक बांस के 1 मीटर तथा 2 मीटर लंबाई के टुकड़े प्रदाय किये की स्वीकृति प्रदान करता है। औद्योगिक बांस के 1 मीटर टुकड़े का मूल्य रुपये 2/- प्रति तथा 2 मीटर के टुकड़े का मूल्य रुपये 4/- प्रति नग वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 लिए निर्धारित किया जाता है। जिन वृत्तों में औद्योगिक बांस का उत्पादन हो रहा है, के लिए संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक को प्रतिवर्ष अधिकतम 50 वि०ई० औद्योगिक बांस उक्त प्रयोजन प्रदाय किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

363
22/6/09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(डॉ०आर.के.गुप्त)

पदेन अपर सचिव

म०प्र० शासन, वन

भोपाल, दिनांक -

पृ.क्रमांक/समिति/363/

प्रतिलिपि:-

- 1/ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित ।।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म०प्र० ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-05 प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सू आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

हस्ताक्षर
पदेन अपर

म०प्र० शासन,

निर्वाह

उमरान

श्री गारिक
22/6/09

17-6-9